

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैण्ड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	पन्नालाल शर्मा, से.नि. प्रधानाचार्य, झाम्बर (हनुमानगढ़)	20-06-54	29-10-79 Sr. T.	28-10-09 30 Y	29-10-09 III	9300-34800	5400
2	कानाराम बुनकर, प्रधानाचार्य, आदर्श, अजमेरी, (सीकर)	15-10-65	15-10-96 Lect.	14-10-16 20 Y	15-10-2016 II	15600-39100	6800
3	हिरदेयाल सिंह, प्रधानाचार्य, आदर्श पन्नीवाली (हनुमानगढ़)	01-10-65	14-09-96 Lect.	13-09-16 20 Y	14-09-16 II	15600-39100	6800
4	सुणाराम वर्मा, प्रधानाचार्य उदरासर, लाडरू, (नागौर)	07-06-62	01-07-87 Sr. T	30-06-17 30 Y	01-07-17 III	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।

(नथमल डिलेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/वो-2/2017-19

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली

दिनांक 26/8/19

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर